फा.सं.19030/3/2014-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 23 जून, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम - यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08.10.2014 के का.ज्ञा. सं.19030/3/2014-ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जोकि बोर्डिंग पास को इस प्रमाण के रूप में जमा करने के संबंध में है कि यात्रा वास्तव में अधिकारी द्वारा की गई है।

इस विभाग में यात्रा भत्ता दावों के साथ बोर्डिंग पास जमा किए जाने की शर्त को रद्द किए जाने के संबंध में अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर विभाग द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा करने में असमर्थ है तो वह बोर्डिंग पास के एवज़ में यात्रा भत्ता बिल के साथ एक स्व-घोषणा प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र **अनुबंध** के रूप में संलग्न है। यदि अधिकारी अवर सचिव स्तर से नीचे (अर्थात् पे लेवल-10 तथा उससे कम) का है तो इस प्रपत्र को नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षित किया जाना आवश्यक है।

3. ये निर्देश केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा दौरे पर की गई यात्रा के संबंध में लागू होंगे। सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाता है कि वे इन निर्देशों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग

प्रतिलिपि: मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार सीएंडएजी, लोक संघ सेवा आयोग आदि।

<u>अनुबंध</u>

<u>बोर्डिंग पास के एवज़ में स्व-घोषणा प्रमाणपत्र</u>

(व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **दिनांक 23.06.2020** के **का.ज्ञा. सं. 19030/3/2014-ई.IV** के अनुसार)

मैं, ... (कर्मचारी का नाम), पुत्र/पुत्री श्री.......................... एतद्द्वारा घोषणा तथा प्रमाणित करता/करती हूं कि -

1. मेरा बोर्डिंग पास गुम हो गया है और मेरे पास कोई डिजीटल/हार्ड कॉपी नहीं है।

2. मैंने.......................(दौरा किए गए कार्यालय का पता) का दौरा करने के लिए.......................(एअरलाइन कंपनी/ प्राधिकृत एजेंसी) द्वारा जारी पीएनआर सं...................... दिनांक....................के हवाई टिकट, जिसे मेरे कार्यालय/ मेरे द्वारा/ पीएसयू द्वारा/ स्वायत्त निकाय द्वारा खरीदा गया था, का इस्तेमाल करके.......................से .... (दिनांक) तक वास्तव में यह यात्रा की थी।

3. मैंने.......................(दौरा किए गए कार्यालय का पता) का दौरा करने के लिए.......................(एअरलाइन कंपनी/प्राधिकृत एजेंसी का नाम) द्वारा जारी पीएनआर संख्या.......................दिनांक.......................के हवाई टिकट का इस्तेमाल करके......................से .... (दिनांक) तक दौरे से वापसी के लिए वास्तव में यह यात्रा की थी।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने किसी अन्य स्रोत/कार्यालय से इस यात्रा के लिए कोई आंशिक अथवा पूरा दावा न तो किया है और न ही करूंगा/करूंगी।

5. यदि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो मैं समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँगा/हूँगी और सरकार को दण्डात्मक ब्याज सहित पूरी धनराशि लौटाऊंगा/ लौटाऊंगी।

(हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

सरकारी कर्मचारी का नाम......................................

पदनाम......................................

कार्यालय का नाम......................................

नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित